



फर्द अहकाम
अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,
किशनगढ अजमेर (राज 0)
सचिन खंडेलवाल बनाम लालचंद
दीवानी वाद संख्या 46/12
सीआईएस संख्या 508/14

तारीख	हुक्त या क्रयवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28.01.2026	<p>श्री प्रतिक मेहता व श्री इन्द्रेश के. रामचंदानी, विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित। श्री परमानन्द शर्मा, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से उपस्थित।</p> <p>बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जाब्ला दीवानी सुनी गई। इस प्रार्थना पत्र की बहस में विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी ने इस वाद के अतिरिक्त एक अन्य वाद संख्या 40/12 अंतर्गत धारा 106 संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था। जिस वाद को वादी ने दिनांक 23-02-2016 को इस आधार पर नोट प्रेस कर खारिज करवा लिया कि किशनगढ में संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। उसके पश्चात उसने श्रीमान किराया अधिकरण किशनगढ के समक्ष अर्जी संख्या 16/16 पुष्पा वगैरह बनाम जगदीश वगैरह राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के अधीन प्रस्तुत कर दी। इस तरह एक तरफ तो वादीगण का यह कथन है कि किशनगढ में धारा 106 संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, वही दूसरी ओर हस्तगत वाद धारा 106 संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है। चूंकि यह तथ्य जवाबदावा प्रस्तुत करने के पश्चात उत्पन्न हुए हैं, ऐसी स्थिति में इस संबंध में जवाबदावे में प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार संशोधन कराया जाना आवश्यक है। अतः यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वांछित संशोधन किए जाने की अनुमति प्रदान की जावे।</p> <p>इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र का मौखिक विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी ने यह प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण को विलंबित करने के आशय से प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण का बिंदू एक विधिक बिंदू है, जिस संबंध में जवाबदावे में संशोधन किए जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में</p>	

हस्तगत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मुख्य रूप से प्रतिवादी का यह कथन है कि हस्तगत प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है, क्योंकि हस्तगत प्रकरण धारा 106 संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है। जबकि किशनगढ में राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के प्रावधान लागू हो चुके हैं। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में दिनांक 16-05-2025 को जो तनकियात विरचित की गई है, उनमें तनकी संख्या 06 यह है कि "आया राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 लागू होने से हस्तगत वाद का सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से यह वाद खारिज किए जाने योग्य है।"

इस तरह प्रतिवादीगण इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो संशोधन चाहते हैं, उस संबंध में न्यायालय द्वारा पूर्व में तनकी संख्या 06 विरचित की जा चुकी है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के पास इस तनकी के संबंध में अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण यह प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण को विलंबित करने के आशय से प्रस्तुत किया है। हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के कोई न्यायसंगत आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र पांच सौ रूपये कोस्ट पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। कोस्ट राशि वादीगण को अदा की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते जिरह/साक्ष्य वादीगण हेतु दिनांक 04-02-2026 को पेश हो।

(संदीप आनन्द)